



Essar Oil Limited
A - 5, Sector - 3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

N.P.V. के भुगतान हेतु प्रमाण पत्र

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित शिकोहाबाद- मैनपुरी मार्ग संख्या 84 के किमी 0 4 में चैनेज 4.510 से 4.545 के बायें पटरी के किनारे रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु अपेक्षित संरक्षित वन भूमि 0.0751 हेक्टेयर है। अपेक्षित संरक्षित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी धनराशि निर्धारित की जाएगी उस धनराशि का भुगतान एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा वन विभाग को नियमानुसार किया जाएगा।

Abhishek Sethi
6/4/15

डिवीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
नोएडा



Essar Oil Limited
A - 5, Sector - 3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग संख्या एस0एच0 84 के किमी0 4 के चैनेज के 4.510 से 4.545 के मध्य बायी पटरी के किनारे रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु अपेक्षित संरक्षित वन भूमि 0.0751 हेक्टेयर है जिसके दुगने अवनत वन क्षेत्र 0.1502 हेक्टे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोंपण हेतु वन विभाग शासन द्वारा जितनी धनराशि की मांग की जाएगी उसका भुगतान एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा वन विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

Chulshan Jethi
6/4/18

डिवीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
नोएडा



Essar Oil Limited
A-5, Sector -3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के लिए प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्तें मान्य होंगी।

Signature
6/4/15

डिवीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
नोएडा



Essar Oil Limited
A - 5, Sector - 3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित किमी 0 4 के चैनेज के 4.510 से 4.545 के मध्य रिटेल आउटलेट के निर्माण शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग पर अपेक्षित भूमि में एक वृक्ष का पालन निहित है।

Mulshan Latta
6/1/18

डिवीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
नोएडा



Essar Oil Limited
A - 5, Sector - 3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग के एस0एच0 84 के गाटा संख्या 820, 821/1, 822/2 ग्राम कंथरी तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद पर एस्सार ऑयल लिमिटेड की स्थापना हेतु आवंटित संरक्षित वन भूमि में मांगी गयी वन भूमि के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के नेट प्रजेण्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान करने हेतु एस्सार ऑयल लिमिटेड प्रादेशित कार्यालय वचनबद्ध है।

Chittaranjan Jethi
6/4/15

डिवीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
नोएडा.



Essar Oil Limited
A - 5, Sector - 3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

प्रमाण-पत्र

एस्सार ऑयल लिमिटेड एस0एच0 84 शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग किमी0 4-5 के चैनेज 4.510 से 4.545 के मध्य बांयी पटरी के किनारे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त "चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड एस0एच0 84 के किमी0 4 चैनेज 4.510 से 4.545 के मध्य बांयी पटरी के किनारे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना में प्रस्तावित 0.0751 हेक्टेयर वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

Umesh Chandra
6/4/15
डिवीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड, नोएडा



Essar Oil Limited
A - 5, Sector - 3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं० 11-29/2004-एफ0सी0 दिनांक 15.07.2004 में बिन्दु सं० iii से vii तक में उल्लिखित सभी बिन्दुओं की शर्तों का अनुपालन याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना में किया जावेगा।

Nishu Singh
6/7/15

डिवीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड, नोएडा



Essar Oil Limited
A - 5, Sector - 3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

मानक शर्तें

एक अनुपात 3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 7314/14/3/1980/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित) कि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह पूर्व की भांति रक्षित बन भूमि बनी रहेगी।

भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

दिमन प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष का आधारित नहीं करेगा।

संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त है अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को कराना होगा।

नीलांचन यंत्रक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित जिलाधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में नए कुनारे आदि की देखभाल करेगा।

वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को आपत्ति नहीं होगी।

Mulshan Datta
6/4/11

(2)

वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया गया। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।

विभाग द्वारा हस्तान्तरिक भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के लिए का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए गए विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो विभाग को मान्य होगा।

हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों को प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा किए जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का निविद्ध है। इसी प्रकार बॉज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन स्तर पर ही हो सकेगा।

वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा या खम्भों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षक करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक अनुमोदन आवश्यक है।

यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपे व्यय से स्वयं करेगा।

ऊपर लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि एस्सार ऑयल लिमिटेड नोएडा द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मैं एस्सार ऑयल लिमिटेड का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि एस्सार ऑयल लिमिटेड को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

emiliana datta
6/4/12

डिवीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड
नोएडा





Essar Oil Limited
A - 5, Sector - 3
Noida - 201301 (U.P.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग संख्या एस0एच0-84 शिकोहाबाद बायीं मार्ग चैनेज 4.510 से 4.545 के पटरी के किनारे रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु अपेक्षित संरक्षित वन भूमि 0.0751 हैक्टेयर है, का संयुक्त निरीक्षक के दौरान पाया गया कि उक्त परियोजना हेतु उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।


बुद्धिमान अधिकारी
रेवेन्यू - शिकोहाबाद


6/1/15

डिजीजनल मैनेजर
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
नोएडा